पत्रांक :–5 / यो.1–10 / 2012(उ0शि0) 206/9548

झारखण्ड सरकार
उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग
(उच्च शिक्षा प्रभाग)

आंतरिक वित्तीय सलाहकार से परामर्शित

प्रेषक,

राहुल कुमार पुरवार,
सरकार के प्रधान सचिव।

सेवा में,

महालेखाकार,
झारखण्ड, राँची।

राँची, दिनांक 05/01/2026

विषयः– वित्तीय वर्ष 2025–26 में सिदों कान्हु मुर्मू विश्वविद्यालय, दुमका के परिसर में आधारभूत संरचना के विकास हेतु Faculty of Law Building, Faculty of Education Building एवं Faculty of Management Building के निर्माण हेतु कुल रू0 7,56,15,500/– (सात करोड़ छप्पन लाख पन्द्रह हजार पाँच सौ) रूपये मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति के विरूद्ध रू0 2,30,00,000/– (दो करोड़ तीस लाख रूपये) मात्र की निकासी की स्वीकृति के संबंध में।

प्रसंगः– स्वीकृत्यादेश संख्या 139/बजट दिनांक 18.09.2017
झारखण्ड राज्य भवन निर्माण निगम लिमिटेड, राँची का पत्रांक 2694 (नि0) दिनांक 16.10.2025

आदेश– स्वीकृत ।

राज्य में उच्च शिक्षा के गुणात्मक सुधार तथा विश्वविद्यालय/महाविद्यालय के छात्र–छात्राओं को पर्याप्त आधारभूत सुविधा उपलबध कराने के उद्देश्य से राज्य स्कीम बजट से विश्वविद्यालयों को सहायता अनुदान के रूप में राशि स्वीकृत की जाती है। विश्वविद्यालय एक स्वायत्तशासी संस्था है। अतः आवश्यकतानुरूप योजना प्रस्ताव तैयार करना एवं स्वीकृति उपरांत उसके कियान्वयन की जिम्मेवारी संबंधित विश्वविद्यालय के कुलसचिव/सी0सी0डी0सी0 एवं संबंधित महाविद्यालय के प्राचार्य एवं अर्थपाल पर होगी।

2. वित्तीय वर्ष 2025–26 में राज्य स्कीम बजट के अन्तर्गत उपशीर्ष–BP- उच्च शिक्षण संस्थानों के आधारभूत संरचना का विकास, आधुनिकीकरण एवं सुसज्जीकरण हेतु सहायता अनुदान लघुशीर्ष –102–विश्वविद्यालयों को सहायता मद में 200.00 करोड़ (दो सौ करोड़ रूपये) मात्र एवं लघुशीर्ष –796–जनजातीय क्षेत्र उपयोजना, मद में 200.00 करोड़ (दो सौ करोड़ रूपये) मात्र अर्थात कुल रू0 400.00 करोड़ का बजट उपबंध है।

3. वित्तीय वर्ष 2025–26 में सिदों कान्हु मुर्मू विश्वविद्यालय, दुमका के परिसर में आधारभूत संरचना के विकास हेतु Faculty of Law Building, Faculty of Education Building एवं Faculty of Management Building के निर्माण हेतु कुल रू0 7,56,15,500/– (सात करोड़ छप्पन लाख पन्द्रह हजार पाँच सौ) रूपये मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति के विरूद्ध रू0 2,30,00,000/– (दो करोड़ तीस लाख रूपये) मात्र की निकासी की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

4. राशि का विकलन वित्तीय वर्ष 2025–26 के राज्य स्कीम बजट के निम्नांकित शीर्ष–"मुख्य शीर्ष–2202, उप मुख्य शीर्ष–03–विश्वविद्यालय एवं उच्चतर शिक्षा, लघुशीर्ष –796–जनजातीय क्षेत्र उपयोजना, उपशीर्ष –BP- उच्च शिक्षण संस्थानों के आधारभूत संरचना का विकास, आधुनिकीकरण एवं सुसज्जीकरण हेतु सहायता अनुदान, विस्तृत शीर्ष–06– अनुदान, 78–पूँजी परिसम्पति के सृजन हेतु अनुदान" (विपत्र कोड–21S220203796BP010678) (स्कीम कोड–2104) के अंतर्गत होगा।

5. मंत्रिमंडल सचिवालय एवं समन्वय विभाग, झारखण्ड की अधिसूचना संख्या–1269 दिनांक–21.09.2023 के आलोक में यह स्वीकृत्यादेश प्रदत्त शक्ति के अधीन है।

6. इस मद में विगत वित्तीय वर्ष के पूर्व वर्ष में निकासी की गयी राशि की विवरणी–

स्वीकृत्यादेश संख्या एवं तिथि	निकासी की गई राशि	प्राप्त उपयोगिता प्रमाण पत्र की राशि
139/बजट दिनांक 18.09.2017 एवं 265/बजट दिनांक 01.11.2021	4,00,00,000/–	3,91,31,371/–

7. वित विभाग के संकल्प ज्ञापांक 759 दिनांक 20.03.2015 के अनुसार राशि की निकासी हेतु प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है।

14. उक्त विषयांकित योजना पर दिनांक 08.12.2025 को सम्पन्न मंत्रिपरिषद की बैठक में मद संख्या– 28 के रूप में स्वीकृति प्रदान किया गया है।

15. वित विभाग के संकल्प ज्ञापांक 759 दिनांक 20.03.2015 के अनुसार राशि की निकासी हेतु प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है।

16. व्यय उपरान्त स्वीकृत राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र महालेखाकार झारखण्ड एवं विभाग को ससमय उपलब्ध कराया जाय।

17. महालेखाकार का कार्यालय, अंकेक्षण/वित्त (अंकेक्षण) विभाग को विमुक्त एवं निकासी की गई राशि के अंकेक्षण का अधिकार होगा।

18. झारखण्ड कोषागार संहिता के नियम 174 का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

19. स्वीकृत राशि की निकासी हेतु तैयार विपत्र पर निदेशक, उच्च शिक्षा, उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग द्वारा प्रतिहस्ताक्षर किया जायेगा।

विश्वासभाजन,

2.1.26

(राहुल कुमार पुरवार)
सरकार के प्रधान सचिव।

ज्ञापांक–3/यो01–28/2024 (उ0शि0) 206/945 रॉची, दिनांक– 05/01/2026

प्रतिलिपि –कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, डोरण्डा, रॉची/कोषागार पदाधिकारी, जिला कोषागार, हजारीबाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

2.1.26

(राहुल कुमार पुरवार)
सरकार के प्रधान सचिव।

ज्ञापांक–3/यो01–28/2024 (उ0शि0) 206/945 रॉची, दिनांक– 05/01/2026

प्रतिलिपि –माननीय विभागीय मंत्री के आप्त सचिव/विभागीय प्रधान सचिव के प्रधान आप्त सचिव/प्रबंध निदेशक, झारखण्ड राज्य भवन निर्माण निगम लिमिटेड, रॉची/निदेशक, उच्च शिक्षा के प्रधान आप्त सचिव/कुलसचिव, विनोबाभावे विश्वविद्यालय, हजारीबाग/उपनिदेशक, उच्च शिक्षा (पद सृजन हेतु)/अवर सचिव–सह–निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी(उच्च शिक्षा)/ लेखा शाखा, उच्च शिक्षा, उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित तथा नोडल पदाधिकारी को विभागीय पोर्टल पर अपलोड करने हेतु आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

2.1.26

(राहुल कुमार पुरवार)
सरकार के प्रधान सचिव।

(राम सूचित कुमार)	(सुधीर कुमार)	(सुधीर बाड़ा)
प्रशाखा पदाधिकारी	अवर सचिव	निदेशक, उच्च शिक्षा